बिहार सरकार

बिहार सरकार

<u>परिवहन विभाग</u>

No-8164
25/9/2025

आम सूचना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की **अधिसूचना सं0–653 (अ) दिनांक–23.09.2021** द्वारा अधिसूचित मोटरयान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 को राज्य सरकार की **अधिसूचना सं0–659 दिनांक–01.02.2022** द्वारा यथास्थिति बिहार राज्य में लागू किया गया है एवं राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार घोषित किया गया है।

पर्यावरण के बचाव, कबाड़ वाहनों के स्क्रैप को प्रोत्साहित करने एवं लोकहित की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना हेतु आवेदन **दिनांक–03.10.2025 से 03.11.2025** तक समर्पित किया जा सकता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–653 (अ) दिनांक–23.09.2021 में निहित समस्त प्रावधानों/शर्तों के आलोक में निर्धारित शुल्क एवं कागजात के साथ रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/सोसाइटी/कंपनी द्वारा विधिज्ञ के अनुसार स्थापित न्यास द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को संबोधित करते हुए केवल केन्द्र सरकार द्वारा विकसित **Portal (https://nsws.gov.in)** के माध्यम से आवेदन समर्पित किया जा सकता है। उक्त Portal के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त Portal पर अपलोड किये गये आवेदन को आवेदक **दिनांक–03.10.2025 से 03.11.2025** तक विहित प्रारूप–1 एवं सभी वांछित कागजातों के साथ स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं शुल्क सहित आवेदन की हार्ड कॉपी विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड़, पटना के द्वितीय तल पर स्थित परिवहन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में भी समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व में भी **Portal (https://nsws.gov.in)** पर अपलोड किये गये आवेदन को आवेदक **दिनांक–03.10.2025 से 03.11.2025** तक परिवहन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में समर्पित कर सकेंगे।

उपर्युक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की **अधिसूचना सं0–653(अ) दिनांक–23.09.2021** एवं परिवहन विभाग, बिहार की **अधिसूचना सं0–659 दिनांक–01.02.2022 विभागीय वेबसाईट–https://state.bihar.gov.in/transport/** पर उपलब्ध है।

ह0/– 25/9/25

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।